

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर [राज०]

न्यायालय भू-प्र

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही	
27.9.19	पत्रावली पेश हुई / अभिभावक उममपत्र 300 / पत्रावली वास्तु अर्द्ध दि. 30.9.19 को पेश हो	हुकम
30.9.19	<p>पत्रावली पेश हुई / अभिभावक उममपत्र 300 / पत्रावली पर नएत न्यायालय डाटा काड सं. 68/12 में पारित अर्द्ध दिनांक 9.6.16 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है जो शामिल पत्रावली है / इस प्रमाणित प्रति के अवलोकन के स्थल है कि नएत न्यायालय में मूल काड खारिज हो चुका है।</p> <p>प्रस्तुत अपील धारा 212 रि. एक्ट की है। चूंकि जब मूल काड ही विस्तारित हो चुका है तो ऐसी स्थिति में अर्द्ध निवेद्यादा की यह अपील इनफेब्रिचस हो चुकी है।</p> <p>अतः अपील अपीलार्थ इनफेब्रिचस (प्रभावहीन) होने के कारण खारिज की जाती है।</p> <p>पत्रावली कैसल शुभा है।</p>	